


57

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर ~~द्वारा~~



श्रीमती/श्रीवा/श्रीमान् २०१७/११५८

श्रीमती रुषा शर्मा पत्नी रामभिलाष शर्मा, पुत्री भीमसेन, उम्र 55 वर्ष,
पेशा खेती, निवासी ग्राम-नरहा, तहसील-गुढ़, हालनिवासी- उररहट,

श्री. आर-७७/१७ रीवा, तहसील हुजूर, जिला-रीवा (म०प्र०)

द्वारा आज दि. १४-६-१७ को

निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती सुनैना उपाध्याय पत्नी तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय, निवासी
ग्राम-नरहा, तहसील-गुढ़, जिला-रीवा (म०प्र०)

गैरनिगराकार

प्रार्थना-पत्र निगरानी विरुद्ध अवैधानिक कार्यवाही जो नायब तहसीलदार साहब, तहसील गुढ़ जिला-रीवा के प्रकरण क्र. 19/अ-70/2016-17 को गायब कर बिना सुने नई अधूरी पत्रावली तैयार कर पीछे की तारीख में आवेदिका की सुनवाई किये बिना दिनांक 23.05.2017 को निरस्त किया गया।

अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई.

मान्यवर,

प्रार्थना-पत्र निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं :-

1. यह कि नायब तहसीलदार, सा० तहसील गुढ़ (श्री लक्ष्मीकान्त मिश्रा) द्वारा जो कार्यवाही प्रकरण क्र. 19/अ-70/2016-17 में

[Signature]

[Signature]

[Handwritten notes]
आर-७७-१५
२०१७
१४-६-१७

II/1012101/1011/21/2017/1758

719117

आवेदन समिती - आर.एस. सेक्टर 34/1
उपरोक्त बाबत निवेदन क्रमांक 1011-पुणे वर
आमचे नवी-चलाना-वाढवणे अर्ज इतके
अनुशोध. 02-पुणे व चलाने के काळ
पुणे इतके सार पर-समाप्त क्रियावादा
है

~~आर.एस.~~

m